मैग्मा जीआईएल भारत गृह रक्षा पॉलिसी

मानक प्रस्ताव प्रपत्र

मैग्मा जनरल इंश्योरेन्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड) | www.magmainsurance.com | ईमेल: customercare@magmainsurance.com | टोल फ्री नं. : 1800 266 3202 | पंजीकृत कार्यालय : इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, टावर 3, आंबेडकर नगर, 2री मंज़िल, युनिट नंबर 1बी और 2बी, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (वेस्ट), मुंबई - 400070, महाराष्ट्र, इंडिया. | CIN: U66000MH2009PLC460693 | IRDAI पंजीकरण संख्या 149 | मैग्मा जीआईएल भारत गृह रक्षा पॉलिसी | उत्पाद UIN: IRDAN149RP0024V02202021 | अपवर्जनों, जोखिम कारकों, नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी के लिए के लिए, कृपया बिक्री संपन्न होने से पहले पॉलिसी दस्तावेज़ों का सावधानीपूर्वक और ध्यान से अवलोकन कर लें. | उपर्युक्त प्रदर्शित ट्रेड लोगो मैग्मा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का है और इसका मैग्मा जनरल इंश्योरेन्स लिमिटेड द्वारा अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) के अधीन उपयोग किया जा रहा है. | हमारी वेबसाइट पर एमआईआरए से संवाद करें अथवा व्हाट्सएप नंबर 7208976789 पर “Hi” लिखकर भेजें. (PF.BGR.ver10.12.25)

प्रस्ताव प्रपत्र

महत्वपूर्ण सूचना

1. **यह प्रस्ताव घर और/या घर की सामग्रियों को आग और उससे संबंधित खतरों से बीमारक्षित करने के निमित्त है.**

2. **यह प्रस्ताव प्रपत्र भरने से पहले विवरणिका/मुख्य विशेषताएँ बताने वाले दस्तावेज़/पॉलिसी शब्दांकनों को पढ़ लें जिससे कि इसमें प्रयुक्त शब्दों/पदावली का अर्थ बेहतर ढंग से समझ में आ जाए.**

3. **बीमा के लिए प्रस्तावित संपत्ति प्रस्ताव स्वीकार न कर लिए जाने और प्रीमियम का भुगतान न कर दिए जाने तक बीमारक्षित नहीं होती है.**

पॉलिसी जारी करने वाले कार्यालय का पता और कोड	
बीमा मध्यस्थ/एजेंट का नाम और कोड (यदि कोई हो)	

ए. प्रस्तावक और पॉलिसी अवधि के बारे में जानकारी

1.	प्रस्तावक का नाम	
2.	प्रस्तावक का पता	
3.	फ़ोन नंबर ए. मोबाइल बी. लैंडलाइन	
4.	ईमेल	
5.	पॉलिसी वित्तीय संस्थानों सहित (बीमाधारित हित रखने वाले जिन सभी पक्षों के पक्ष में जारी) की जाएगी, उन्हें सूचीबद्ध करें.	

6.	बीमा अवधि	से लेकर तक (दीर्घावधिक पॉलिसी की स्थिति में वर्षों की संख्या :_____)

बी. चयनित बीमा सुरक्ष

8.	क्या संबंधित संपत्ति के लिए पहले से कोई पॉलिसी चालू है?	हाँ/नहीं
	यदि हाँ है, तो कृपया संबंधित विवरण प्रदान करें	
9.	आवश्यक बीमा सुरक्षा: (घर <u>और</u> घर के सामनों की बीमा सुरक्षा का विकल्प चुने जाने पर, घर की सामान्य सामग्रियों के लिए 20% बीमा राशि के बराबर, अधिकतम ₹10 लाख [दस लाख रुपए] तक, स्वचालित रूप से बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है).	

बीमा सुरक्षा चाहिए	**कृपया सही का निशान लगाएँ**
घर के भवन और घर के सामानों के लिए	
केवल के भवन के लिए	
केवल घर के सामानों के लिए	

सी. घर का स्थान

10.	घर का स्थान - पिन कोड सहित डाक का पूरा पता.	पिन कोड:
11	घर किसी बहुमंजिला भवन में है या अलग से बना घर है?	
12	बहुमंजिला भवन के स्थिति में, कृपया बताएँ कि आपका घर किस मंज़िल पर है.	
13.	क्या आपके घर में कोई बेसमेंट है?	

डी. घर का विवरण

कृपया ध्यान दें:

आपका घर *आवासीय इकाई से मिलकर बना ऐसा भवन है जिसकी बन्द संरचना है, छत है, जिसमें बेसमेंट (यदि कोई हो) और फर्श, दीवारों या छत से स्थायी रूप से आबद्ध फिक्स्चर्स और फिटिंग्स हैं, जैसे स्थायी सैनिटरी फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अन्य स्थायी फिटिंग्स आदि.*

इसमें *'अतिरिक्त संरचनाएँ' भी शामिल होती हैं, यदि उसी स्थान पर होती हैं, और आपके घर के भवन के हिस्से के रूप में उपयोग की जाती हैं :*

ए. गैरेज, निवास के लिए प्रयुक्त घर के परिसर में स्थित सहायक भवन, पार्किंग स्थल या क्षेत्र, यदि कोई हो;

बी. चारदीवारी, बाड़, फाटक, मिट्टी रोकने वाली दीवारें, आंतरिक मार्ग;

सी. बरामदा या पोर्च आदि;

डी. सेप्टिक टैंक, बायो-गैस संयंत्र, स्थायी जल भंडारण इकाइयाँ या टंकियाँ, सोलर पैनल, विंड टरबाइन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम आदि, यदि घर के सामान की बीमा सुरक्षा में शामिल नहीं है, कोई अन्य संरचना.

<table>
<tr><td>14.</td><td>घर के भवन के लिए बीमा राशि (एसआई) :
कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें :

(पॉलिसी आरंभ होने तिथि पर आपके घर के निर्माण के लिए आवश्यक राशि. इस राशि की गणना इस प्रकार की जाती है :)

ए. फिटिंग और फिक्सचर सहित आपके घर की आवासीय संरचना के लिए :

आवासीय संरचना का कार्पेट एरिया वर्ग मीटर में x पॉलिसी आरंभ होने की तिथि पर निर्माण की लागत की दर.

निर्माण की लागत की दर, पॉलिसी आरंभ होने की तिथि पर आपके घर के निर्माण की प्रचलित लागत की दर होती है.</td><td>ए. फिटिंग और फिक्सचर सहित आपके घर की आवासीय संरचना के लिए बीमा राशि (₹ में) :</td></tr>
<tr><td></td><td>बी. अतिरिक्त संरचनाओं के लिए :
वह राशि जो पॉलिसी आरंभ होने की तिथि पर प्रचलित निर्माण की लागत की दर के आधार पर निर्धारित की जाती है.</td><td>बी. अतिरिक्त संरचनाओं के लिए बीमा राशि (₹ में)
<table><tr><td>अतिरिक्त संरचना</td><td>बीमा राशि</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>घर की संरचना का कार्पेट एरिया वर्ग मीटर में</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>पॉलिसी आरंभ होने तिथि पर प्रति वर्ग मीटर निर्माण की लागत की दर</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">अन्य विवरण</td></tr>
</table>

17.	घर की आयु	5 वर्ष से कम 5 से 10 वर्ष 10 से 20 वर्ष 20 वर्ष से अधिक	
18.	निर्माण का विवरण ***कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें :*** *(जिस भवन की दीवारें और/या छते लकड़ी के पल्लोए/छप्पर के पत्तों और/या घास/ किसी भी प्रकार की सूखी घास/बांस/प्लास्टिक की बनी हुई चादर/डामर/कैनवास/तिरपाल आदि से बनी होती है, उन्हें कच्चा निर्माण माना जाता है.* *कच्चे निर्माण के अलावा अन्य निर्माण 'पक्का निर्माण' हैं)*	<table><tr><td></td><td>निर्माण*</td></tr><tr><td>दीवारें</td><td>कच्चा / पक्का</td></tr><tr><td>फर्श</td><td>कच्चा / पक्का</td></tr><tr><td>छत</td><td>कच्चा / पक्का</td></tr></table> *(*जो प्रासंगिक न हो, उसे काट दें)*	

ई. घर के सामानों का विवर

कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें :

i) घर के सामानों से मतलब आपके घर की उन सामग्रियों/वस्तुओं या चीज़ों से है जो आपके घर की संरचना से स्थायी रूप से जुड़ी या आबद्ध नहीं हैं. घर के सामानों में सामान्य सामग्रियाँ और/या मूल्यवान सामग्रियाँ शामिल हो सकती हैं.

*ii) **सामान्य सामग्रियाँ** आपके घर में घरेलू उपयोग के सभी सामान हैं, जैसे कि फ़र्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियाँ और वस्तुएँ, एंटेना, सोलर पैनल, जल भंडारण उपकरण, रसोई के उपकरण, विद्युत उपकरण (दीवारों पर लगे उपकरणों सहित), कपड़े और परिधान और इसी प्रकार की वस्तुएँ.*

*iii) आपके घर की **मूल्यवान सामग्रियों** में आभूषण, चांदी के बर्तन, पेंटिंग, कलाकृतियाँ, प्राचीन वस्तुएँ, दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुएँ और इसी प्रकार की अन्य सामग्रियाँ शामिल हैं.*

iv) यदि आपने घर और घर के सामानों की बीमा सुरक्षा का विकल्प चुना है, तो घर की सामान्य सामग्रियाँ 20% बीमा राशि के बराबर, अधिकतम ₹10 लाख [दस लाख रुपए] तक, स्वचालित रूप से बीमारक्षित हो जाती हैं.

<table>
<tr>
<td>19.</td>
<td>यदि आप उपर्युक्त (iv) में उल्लेखानुसार सामान्य सामग्रियों के लिए अंतर्निहित बीमा सुरक्षा का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं और अपेक्षाकृत अधिक बीमा राशि रखना चाहते हैं

या

यदि आपने केवल घर के सामानों की ही बीमा सुरक्षा का विकल्प चुना है, तो कृपया सामान्य सामग्रियों के लिए वस्तुवार बीमा राशि बताएँ.

(बीमा राशि नया सामान लाने या बदलने में आने वाला खर्च दर्शाती है)</td>
<td>सामान्य सामग्रियों हेतु सामग्री-वार बीमा राशि (₹ में)
<table>
<tr><th>सामग्रियाँ</th><th>बीमा राशि</th></tr>
<tr><td>फर्नीचर, फिक्स्चर और फिटिंग्स (घर की साज-सज्जा सामग्रियाँ</td><td></td></tr>
<tr><td>इलेक्ट्रिक/ इलेक्ट्रॉनिक</td><td></td></tr>
<tr><td>अन्य</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>बेसमेंट की स्थिति में, यदि उसमें सामान हैं, तो कृपया बीमा राशि बताएँ</td>
<td></td>
</tr>
</table>

21.	क्या आप किसी अंतर्निहित जोखिम/खतरों का अपवर्जन करना चाहते हैं? भूकंप आतंकवाद	 हाँ ☐ नहीं ☐ हाँ ☐ नहीं ☐

एफ. अंतर्निहित बीमा सुरक्षा (किराए की हानि और वैकल्पिक आवास का किराया)

21.	बीमा सुरक्षा चाहिए (कृपया सही का निशान लगाएँ) किराए की हानि के लिए ☐ वैकल्पिक आवास के किराए के लिए ☐	किराए की हानि के लिए: I. बीमा राशि: II. महीनों की संख्या: वैकल्पिक आवास के किराए के लिए: I. बीमा राशि II. महीनों की संख्या

जी. वैकल्पिक बीमा सुरक्षा (अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी)

22.	क्या आपको अपने और अपने जीवनसाथी के लिए 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा' चाहिए?	हाँ/नहीं यदि हाँ तो, आपके जीवनसाथी का नाम और आयु: आपकी आयु:
3.	क्या आपको 'पूर्वनिर्धारित मूल्य आधार पर (घर के सामानों की बीमा सुरक्षा के अंतर्गत) मूल्यवान सामग्रियों के लिए बीमा सुरक्षा' चाहिए: *(आपके घर की **मूल्यवान सामग्रियों** में आभूषण,*	हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कृपया वस्तुओं की सूची और

	चांदी के बर्तन, पेंटिंग, कलाकृतियाँ, प्राचीन वस्तुएँ, दुर्लभ संग्रहणीय वस्तुएँ और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएँ शामिल हैं.) *(आपको एक मूल्यांकन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. हालाँकि, यदि चयनित बीमा राशि ₹5 लाख तक है और वस्तु विशेष का मूल्य ₹1 लाख से अधिक नहीं है, तो मूल्यांकन प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है).*	बीमा राशि संलग्न करें: क्या मूल्यांकन प्रमाणपत्र संलग्न है? (हाँ/नहीं)

एच. अतिरिक्त/परिशिष्ट बीमा सुरक्षा (अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध वैकल्पिक बीमा सुरक्षा के अतिरिक्त)

क्र. सं.	परिशिष्ट- बीमा सुरक्षा का नाम	बीमा राशि

आई. प्रीमियम का विवरण

भुगतान विधि	
भुगतान का विवरण	
राशि (₹ में)	

जे. दावों का विवरण

कृपया बीते 3 वर्षों में प्रस्तावित संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान का विवरण दें:

नुकसान की तिथि	नुकसान का कारण	दावा की गई राशि	निपटाई गई राशि/यदि दावा लंबित है तो कृपया बताएँ

प्रीमियम के भुगतान का विवरण:			
प्रीमियम की कुल राशि (जीएसटी सहित) – ₹ _____			
भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम-			
कृपया चुनें : ☐ चेक ☐ डीडी ☐ एनईएफटी ☐ नकद			
चेक/डीडी/पीओ/यूटीआर सं.			
तिथि आईएफएससी			
राशि ₹ में			
बैंक खाता		सं.	
बैंक का नाम		शाखा	
पैन नंबर			
आधार नंबर			
केवाईसी संबंधी मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़.			
जीएसटी पंजीकृत			हाँ/नहीं
	जीएसटीआईएन नंबर		
	जीएसटी राज्य		

इलेक्ट्रॉनिक बीमा संबंधी विवरण

क्या आप इस पॉलिसी को ई-बीमा खाता में जमा करवाना चाहते हैं? (कृपया किसी एक का चयन करें)

- ☐ नहीं, मेरा ई-बीमा खाता नहीं है और मैं ई-बीमा खाता नहीं खोलना चाहता/चाहती हूँ.
- ☐ हाँ, इस पॉलिसी को मेरे ई-बीमा खाते में जमा करें.

यदि हाँ है, तो कृपया वर्तमान ई-बीमा खाता संख्या प्रदान करें.

कृपया इंश्योरेन्स रिपॉजिटरी के नाम का चयन करें (जिसमें आपने अपना खाता खोला है)

☐ मेसर्स एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड ☐ मेसर्स कार्वी इंश्योरेन्स रिपॉजिटरी लिमिटेड

☐ मेसर्स सेंट्रल इंश्योरेन्स रिपॉजिटरी लिमिटेड ☐ मेसर्स सीएएमएस रिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड
(कृपया किसी एक का चयन करें) या

☐ मेरा वर्तमान में कोई ई-बीमा खाता नहीं है और मैं कोई नया ई-बीमा खाता खोलना चाहता/चाहती हूँ.
(कृपया संबंधित दस्तावेज़ों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बीमा खाता खोलने का फ़ॉर्म (ई-आईए फ़ॉर्म) जमा करें.)

मेरा सीकेवाईसी नंबर (केंद्रीय ग्राहक पहचान रजिस्ट्री नंबर) है (यदि उपलब्ध हो):

_____

प्रतिनिधि का विवरण (केवल तभी जब ई-बीमा खाता प्रस्तावक और मुख्य बीमित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए खोला जाना हो)

पहला नाम

मध्य नाम

अंतिम नाम

लिंग

जन्म तिथी

पैन

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

पता पंक्ति 3

पिन कोड

टेलीफोन नंबर

मोबाइल नंबर

संबंध

अन्य संबंध

ईमेल आईडी

यूआईडी

भूमिचिह्न

राज्य

शहर

देश

इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के निष्पादन एवं सेवा संचार के लिए प्राधिकरण (कृपया ध्यान से पढ़कर हस्ताक्षर करने से पहले प्रत्येक के सामने सही का निशान लगाएँ)

के. बीमित व्यक्ति द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं और आश्वासन देता/देती हूँ/देते हैं कि उपरोक्त कथन सभी

प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं और यह कि मेरे/हमारे बीमा के आवेदन के लिए प्रासंगिक ऐसी कोई अन्य जानकारी नहीं है जो आपको नहीं दी गई है. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि यह प्रस्ताव और घोषणाएँ मेरे/हमारे और मैग्मा जनरल इंश्योरेन्स लिमिटेड के बीच अनुबंध का आधार होंगी.

मैं/हम यह भी घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि यदि इस प्रस्ताव प्रपत्र के जमा होने के बाद प्रस्तावित जोखिम में कोई अभिवृद्धि या परिवर्तन किया जाता है, तो इसकी सूचना बीमाकर्ताओं को तुरंत दी जाएगी.

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं और वचन देता/देती हूँ/देते हैं कि उपर्युक्त पॉलिसी के लिए प्रीमियम के रूप में मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की गई राशि मेरी/हमारी वैध और घोषित आय के स्रोत से है.

मैं/हमे एतद् द्वारा मैग्मा जनरल इंश्योरेन्स लिमिटेड को कंपनी की प्रस्तावित या मौजूदा पॉलिसी के संबंध में समय-समय पर वेलकम कॉल्स, सर्विस कॉल्स और अन्य किसी भी प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान (इलेक्ट्रॉनिक या अन्य) करने की सहमति देता/देती हूँ/देते हैं और अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं, जो लागू कानून के प्रावधानों के अधीन होगा.

"मैं/हम कंपनी को लागू केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के उद्देश्य से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या यूआईडीएआई या किसी अन्य अनुमत माध्यम से मेरी/हमारी पहचान/पते के प्रमाण के साथ-साथ बीमित व्यक्ति की पहचान/पते के प्रमाण को सत्यापित करने और प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ/देते हैं. "

मैं/हम अपने व्हाट्सएप (अन्य ऐप) नंबर पर पॉलिसी से संबंधित सभी सूचनाएँ प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं.

स्थान

दिनांक

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

धन शोधन निवारण संबंधी दिशा निर्देश

1. मैं/हम एतद् द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि भुगतान की गई/भविष्य में भुगतान की जाने वाली/देय सभी प्रीमियमें वास्तविक एवं विधिसम्मत स्रोतों से भुगतान की गई हैं/भुगतान की जाएँगीं और अपराध की आय से नहीं भुगतान की गई हैं/भुगतान की जाएँगीं और यह कि ऐसी प्रीमियमें मेरी/हमारी आय के अनुपात से असंगत नहीं हैं. मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि कंपनी को धन के स्रोतों की पुष्टि करने हेतु दस्तावेज़ माँगने और भारत में धन शोधन निवारण कानून को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने वाले किसी भी क़ानून के अंतर्गत किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर बीमा पॉलिसी को निरस्त करने का अधिकार है.

   दिनांक : दिन/माह/वर्ष प्रस्तावक के हस्ताक्षर: _____

   क्या आप या प्रस्ताव के आवेदकों में से कोई भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति* या राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति का निकट संबंधी/सहयोगी है*?

☐ हाँ ☐ हीं

यदि हाँ हो, तो कृपया ''राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति'' (पीईपी) की जानकारी प्रदान करें:

* राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जो किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक पद पर नियुक्त होते हैं, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के पदाधिकारी शामिल हैं.

2. **विकलांगता, यदि कोई हो**: विकलांगता का प्रकार _____ विकलांगता का प्रतिशत: _____

3. **<u>अतिरिक्त जानकारी:</u>**

राष्ट्रीयता: भारतीय ☐ गैर-भारतीय ☐ यदि गैर-भारतीय हैं, तो कृपया देश बताएँ: ----------

आवासीय स्थिति: ☐ निवासी व्यक्ति ☐ अनिवासी भारतीय ☐ विदेशी नागरिक
भारतीय मूल का व्यक्ति ☐

4. **<u>संगठन का प्रकार:</u>**

(i) निगम

(ii) ट्रस्ट

(iii) सरकार

(iv) साझेदारी

(v) गैर-सरकारी संगठन

(vi) सहकारी समितियाँ

(vii) सोसाइटी

(viii) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

(ix) पब्लिक लिमिटेड कंपनी

(x) अन्य, कृपया उल्लेख करें----------

5. **<u>धन का स्रोत:</u>**

व्यवसाय: ---------- वेतनभोगी:----------

अन्य (कृपया उल्लेख करें) ----------

बीमा मध्यस्थ द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र

बीमा मध्यस्थ का पैन नंबर:

बीमा मध्यस्थ का आधार नंबर:

मैं, _____ (पूरा नाम), एक बीमा परामर्शदाता/कॉर्पोरेट एजेंट के निर्दिष्ट व्यक्ति/दलाल के अधिकृत कर्मचारी/संबंध अधिकारी के रूप में अपनी क्षमता से, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने प्रस्तावक को इस प्रस्ताव प्रपत्र की सभी विषय-वस्तु, इस प्रस्ताव प्रपत्र में दिए गए प्रश्नों की प्रकृति सहित, जिसमें इस प्रस्ताव पत्र में दिए गए प्रश्नों के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण, जानकारी और जवाब शामिल हैं, या इसमें मांगी गई कोई भी जानकारी शामिल है, समझा दी है जो कंपनी और प्रस्तावक के बीच बीमा अनुबंध का आधार बनेगी, यदि यह प्रस्ताव कंपनी द्वारा पॉलिसी जारी करने के लिए स्वीकार कर लिया जाता है. मैंने आगे स्पष्ट किया है कि यदि इस प्रस्ताव प्रपत्र में कोई असत्य विवरण/जानकारी/जवाब शामिल है/हैं, जिसमें प्रस्तुत किए गए/प्रस्तुत किए जाने वाले परिशिष्ट, शपथपत्र, विवरण, निवेदन शामिल हैं, या यदि किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है, तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत उसके पक्ष में जारी की गई पॉलिसी को कंपनी द्वारा अमान्य और शून्य माना जा सकता है और पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की गई संभी प्रीमियम कंपनी द्वारा जब्त की जा सकती है.

लाइसेंस नं./पहचान पत्र (परामर्शदाता/कॉर्पोरेट एजेंट/दलाल/संबंध अधिकारी)

दिनांक : दिन/माह/वर्ष

बीमा परामर्शदाता के हस्ताक्षर:

_____

स्थानीय भाषा में प्रस्तुत घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रपत्र और **मैग्मा जनरल इंश्योरेन्स लिमिटेड** से बीमा प्राप्त करने से अनुषंगी सभी अन्य दस्तावेज़ों की विषय-वस्तु उसकी समझ में आने वाली भाषा में पूरी तरह समझा दी है. प्रस्तावक ने इन्हें पूरी तरह समझ लिया है और उत्तरों को प्रस्तावक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दर्ज किया गया है. प्रस्तावक को उत्तरों को पढ़कर सुनाया गया है, जिन्हें उसने पूरी तरह समझ लिया है और उनकी पुष्टि की है.

स्थान:

प्रस्तावक के हस्ताक्षर_____

कंपनी की मुहर

दिनांक: (दिन/माह/वर्ष) नाम: _____ पदनाम _____

अशक्तता संबंधी घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे प्रस्तावक द्वारा यह घोषणा-पत्र देने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है और मैंने प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रपत्र और मैग्मा जनरल इंश्योरेन्स लिमिटेड से बीमा प्राप्त करने से अनुषंगी सभी अन्य दस्तावेज़ों की विषय-वस्तु को पूरी तरह समझा दिया है. प्रस्तावक ने इन्हें पूरी तरह समझ लिया है और उत्तरों को प्रस्तावक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दर्ज किया गया है. प्रस्तावक ने भी उत्तरों की व्याख्या की है, जिन्हें उसने पूरी तरह समझ लिया है और उनकी पुष्टि की है.

नाम _____
हस्ताक्षर _____ दिनांक: _____

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 41 के अंतर्गत छूटों का निषेध

कोई भी व्यक्ति, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने, बीमा का नवीनीकरण करने या जारी रखने के लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन के पूर्ण या आंशिक हिस्से पर कोई छूट या पॉलिसी पर दर्शाए गए प्रीमियम पर कोई छूट नहीं देगा या देने की पेशकश नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या उसका नवीनीकरण कराने वाला कोई भी व्यक्ति, बीमाकर्ता के प्रकाशित विवरणिका या तालिकाओं के अनुसार दी गई छूट को छोड़कर, कोई छूट स्वीकार करेगा.

इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा जो अधिकतम दस लाख रुपये तक हो सकता है.